15- महामंत्री के अधिकार व कर्तव्य -

क- अध्यक्ष एवं संयोजक के परामर्श से महामंत्री द्वारा प्रन्यासी मण्डल की बैठक आयोजित की जायेगी ।

ख- महामंत्री प्रन्यासी मण्डल के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा ।

ग- महामंत्री प्रन्यासी मण्डल द्वारा गठित समितियों व उप समितियों का सदस्य होगा।

घ- महामंत्री प्रन्यासी मण्डल द्वारा गठित समितियों एवं उपसमितियों की कार्यवाही लिखेगा अथवा लिखवायेगा तथा अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करेगा ।

ङ- महामंत्री पत्र व्यवहार करेगा या करायेगा लेखा पुस्तकें तैयार करायेगा । वार्षिक रिर्पोट तैयार करेगा तथा प्रन्यासी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

च- आवश्यक धन न्यास के कोष से व्यय करने का अधिकार होगा । सभी कार्यो के लिए अध्यक्ष संयोजक एवं कोषाध्यक्ष से परामर्श आवश्यक होगा ।

छ- महामंत्री को कर्मचारी नियुक्त करने का व हटाने का अधिकार होगा ।

16- उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के सभी कार्यो में सहयोगी की भूमिका निभायेगा ।

17- मंत्री के अधिकार व कर्तव्य -

महामंत्री का सभी प्रकार से सहयोग करेगा महामंत्री की अनुपस्थिति में उसके कार्यो का निर्वाह करेगा ।

18- कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य -

कोषाध्यक्ष सामान्य तथा न्यास के लिए दान अनुदान आदि प्राप्त करेगा । महामंत्री को बजट के अनुसार व्यय के लिए धन देगा एवं लेखा पुस्तक आय-व्यय विवरण व चिटठा तैयार करने तथा उसका अंकेक्षण करवाने में महामंत्री का सहयोग करेगा ।

19- न्यास की सम्पत्ति -

न्यास का कोष व सम्पत्तियां न्यास के प्रन्यासी मण्डल में निहित होगी ।

20- बैंक खातो का संचालन -

प्रन्यासी मण्डल के प्रस्ताव द्वारा किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा बैंको में न्यास का खाता/खाते खोला/खोले जायेंगे उनका संचालन प्रन्यासी मण्डल द्वारा नियुक्त किन्हीं तीन पदाधिकारियों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा होगा ।

--- 8

आशीष